Dr. Ram Subhag Singh: When I moved the motion, Sir, I did not mean that the Bill should be scuttled. Let it remain and be taken up later on. I only say that for the time being its consideration should be postponed.

Shri Hajarnavis: You can either name the period or do not name any period at all.

Dr. Ram Subhag Singh: I moved my motion without naming any period.

Mr. Chairman: That is *sine die.* I shall now put the motion to the vote of the House.

The question is:

"That the debate on this Bill be adjourned *sine die.*"

The motion was adopted.

15.43 hrs.

FIXATION OF PRICE OF FOOD GRAINS BILL

Shri Jhulan Sinha (Siwan): **Mr.** Chairman, Sir, I beg to move:

"That the Bill to provide for fixation of prices of foodgrains be taken into consideration."

Sir, it will appear from the Statement of Objects and Reasons appended to the Bill that the Bill is intended mainly for two purposes. The main purpose is to give encouragement to the growth of food production in this country. The other important idea behind this Bill is to save the growers from exploitation by unscrupulous traders and others engaged in the business of procuring food.

It will not be very appropriate for me to take the time of the House by quoting a large number of figures that have been supplied to us in the various publications by the Lok Sabha Secretariat. But I may just quote only a few figures to show the gravity of the situation and the need for having a Bill like this. If you just have a look at the figures of production of foodgrains during the last two years you will very easily realise how the figures have been fluctuating and how there is need for regulating the prices whereby the production of foodgrains in this country will rise. I am quoting the figures for the last 9 to 10 years. In 1950 the total production of foodgrains in this country was 54,48,000 tons and import of foodgrains in the same year was of the order of 21,25,000 tons. In 1951 the figures were 50,22,000 tons and 47,25,000 tons—fall in production and rise in imports. In 1952 the production was 51,75,000 tons and import for that year was 38,64,000 tons. I would not like to tire the House by quoting all the figures, though I have got the figures from 1950 up to the present time. The prices have been fluctuating. When the prices are going up the production rises; when the prices go down, the production suffers. This shows that the question of production of foodgrains is very intimately related to the price structure obtaining in the land.

I have introduced this Bill to draw the attention of the Government to the extreme necessity of having a stable food price policy in the country. We have had the experience of having minimum prices for certain other commodities. For instance, the House has been debating off and on, practically during every season, the price of sugarcane. There was a time when the price of sugar-cane was not regulated by law and then the condition of the sugar-cane growers in the country was as chaotic as it is now in the case of other foodgrains in this country. Since then, Government have fixed the statutory minimum price for sugar-cane and the production of sugar-cane has been steadily rising. So, there has been hardly any complaint of exploitation of cane-growers by the factory owners or others.

As I said, the main purpose of this Bill is the increased production of

foodgrains in this country. I will quote a few other figures to show how backward we are in this respect. I have with me figures of the caloric value of the food consumed in our country as well as in some other advanced countries. There also the position does not seem to have improved to any great extent. The figures are as follows:

Year	India	Canada	U.K.	U.S.A.	Japan
1951-53	1740	3050	3090	3150	1960
1954-56	1837	3160	3260	3140	1980
1956-57	1880	3140	3270	3150	2110

Naturally, the health of the country is not as it should have been or as it should be.

The production of foodgrains in India is fluctuating all these years. The prices are so unstable that they do not inspire confidence in the grower. It is not in quantity of food alone that we are lacking; in the caloric value of the food consumed also we are backward; as I have proved by quoting the figures just now. We have to import a very large quantity of food from abroad, because our production is inadequate and is so fluctuating. It will not be safe for any Government, especially for a Government with welfare ideas, to depend upon this sort of food production in this country.

I will quote a few more figures to show how much we are spending on the subsidy that we are giving on food imported from outside. I am quoting all these figures from the publications supplied by the Lok Sabha Secretariat. The figures are as follows:

Year	Subsidy
	Rs.
1946-47 . . .	20,64,90,000
1947-48 . . .	23,51,40,000
1948-49 . . .	43,66,30,000
1952-53 . . .	22,78,70,000
1959-60 . . .	2,81,80,000

So, these huge amounts spent on subsidising food imported from outside tells a very sorry tale. So, my scheme is intended to conserve our resources and, at the same time, give encouragement to our producers.

This Bill is also intended to safeguard the grower from the exploitation of the middle people, who purchase foodgrains from the farmers at a lower price and then sell it to the consumer at a high price, making money out of this transaction. I have, therefore, pressed in this Bill that a statutory minimum price, a fair and economic price, be fixed for the foodgrains produced in this country so that these unscrupulous people who deal in foodgrains may not be able to exploit the grower any more. There has not been any improvement in the condition of the grower after our attainment of independence. He has to be saved from exploitation. Those who are in charge of the destiny of the country have a duty to perform to them, and that duty demands that there should be statutory protection for the fruits of their labour.

I will fortify myself by reading a very small quotation from the report of the Foodgrains Enquiry Committee appointed by the Government of India in 1957-58. I will not quote the whole chapter; I will just read a small paragraph from this report to show how important it is to fix the price of foodgrains statutorily. The whole position has been set out on pages 91 and 92 of the report. I will read only para 716 which says:

> "We would like to reiterate that the prices at which the Foodgrains Stabilisation Organisation would be prepared to buy should be economic prices and should be kept reasonably stable to give confidence to the producers."

From this it would appear that the need to regulate the prices of foodgrains by law is very great and is in the interests not only of the growers but also of the whole nation.

[Shri Jhulan Sinha].

16 hrs.

There are three types of growers in this country as elsewhere. There are those who grow less than what they themselves require for their own consumption. Then there are growers who are self-suffifficient in respect of their consumption. Then there are the surplus growers. This Bill deals only with those who are surplus growers, that is, who produce not only for their own consumption but also for those who want it. The case of surplus growers in this country, as elsewhere, has always attracted the attention of the authorities or the Government of the land. If we do not encourage them by proper methods and if we do not give them incentives to grow more, we have naturally to expect that production will go down. In the state of things obtaining in our country that will be a suicidal step for us to take. For those who are importing foodgrains from outside, who are subsidising foodgrains partly produced in this country and partly imported from other countries and who are living on a marginal caloric value of food, who are just keeping their body and soul together, for a nation like this it will be very suicidal to ignore the price factor in foodgrains.

We all know that the population of our country is growing by leaps and bounds. We have taken certain measures to augment our resources of foodgrains either by land reforms that we have effected or by irrigation or by manufacturing of manure and by giving other facilities to the growers. But in spite of that the figures of production that are available with us do not show a very bright prospect because of the basic fact that the growth of population is much more in proportion than the production of foodgrains in the country. The lands that have been brought under the plough either by reclamation or by irrigation and other methods of scientific cultivation do not give the same proportion of production as the growth of population in the country. Every year we find that about 50 lakhs of people are being added to the nation's population which means that every year we have to feed 50 lakhs of mouths more than in the previous year. The production of foodgrains in the country does not keep pace with the growth of population in the land. That is the situation which we have to face. Then, how can we meet it? We have to give proper incentives to the grower. Then only we can expect that we will be able to meet it.

It has been said that the cultivator in this country is very conservative. We all know it. They also know it and are not in the least shy of confessing it. But once the conservative grower finds that a particular thing is in his interest, it is very difficult to check him from following that path. We have seen that in the case of increase in the yield of sugarcane and other foodgrains by the use of irrigation facilities, manure and other developed agricultural methods. Now what is the position? We find that the consumption of manure in this country has grown beyond what we have been able to produce by the installation of these numerous fertiliser factories and we have still to import fertilisers from outside. There was a time when these things were taboo in the land. But once the grower has been convinced of the utility of these things, it is very difficult to check his extreme desire to use these things. The conservatism that is ours is certainly a good thing. That has kept us alive all these years in adverse circumstances of these long centuries. But that conservatism is breakable only on the ground of experience. That experience has taught us that these facilities for the development of agricultural production require to be enhanced at a very rapid rate. The main incentive for the development of these things will be given by the fixation of prices of the produce that the growers are going to have.

From the provisions of the Bill it will appear that what is demanded here and what is conceived in the Report of the Foodgrains Enquiry Committee is that the prices of foodgrains should be economic and fair and should be fixed ahead of the sowing season. Merely fixing the price when the produce is in the market will not be very helpful. It is the grower who has to grow and not the market people, who bring it from the growers and sell it to the consumers. The growers will have confidence in the price of their produce only if the price is fixed well in advance of the sowing season. This Bill, therefore, aims at fixing the price of foodgrains well in advance of time in the interest of production of more foodgrains and in the interest of saving the growers from the unscrupulous exploiters who are so much at large in the whole country.

From a perusal of the provisions of the Bill it will appear that 'food grains' means paddy, wheat, Gram, maize and their products and includes Jawar, Bajra and other coarse grains used for consumption by human beings for maintenance of life. These are the staple foodgrains that are consumed in the country, the coarse foodgrains as we call them as also the fine grains. I have proposed in this Bill that the Central Government shall fix the price of food grains in time and 'in time', as given here, means sufficiently ahead of the sowing season.

This Bill also makes provision for penalising those people who sell, purchase or aid and abet the sale and purchase of food grains at a price lower than that fixed by the Government. It provides that they shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months. The punishment is given only as a deterrent to the unscrupulous behaviour of those who deal in these things.

I will not add to what I have just now said beyond saying that the price factor of foodgrains in this country is a factor which is practically universally accepted. I hope we, in this House, will cut across party lines and come out with a generous support to the measure that I am proposing.

With these words I commend my Bill for the acceptance of the House.

Mr. Chairman: Motion moved:

"That the Bill to provide for fixation of prices of food grains be taken into consideration."

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, श्री झूलन सिंह का बिल तृतीय पंचवर्षीय योजना के एक मुख्य पहलू अर्थात् मूल्यों के निर्धारण के सम्बन्ध में एक विशेष प्रकाश डालता है और इसलिए वह एक महत्वपूर्ण विधेयक है ।

अफसोस की बात यह है कि भारत सरकार की तरफ से बार बार यह ऐलान किया गया कि वह किसानों के उत्पादन का मूल्य निर्धारित करने के लिए किसी कमेटी के निर्माण पर विचार कर रही है । तृतीय पंचवर्षीय योजना जब वह बनने के स्टेज में थी तब इस तरह की घोषणा भारत सरकार की तरफ से की गई थी । खाद्य मन्त्री श्री स० का० पाटिल की तरफ से ऐसी घोषणा हुई थी । हालत यह है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना प्रकाशित हो गई है और उस के ड्राफ्ट प्लान पर एक दफा पार्लियामेंट में बहस हो चुकी है और अभी तृतीय पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट को हाउस में पेश होने में दो, तीन दिन बाकी हैं और दूसरी दफा फिर उस पर यहां बहस की जायगी लेकिन अभी तक सरकार इस विषय में कोई निश्चय नहीं कर सकी है । यह बड़े दुख की बात है कि जो लोग हिन्दुस्तान की आबादी का सत्तर फीसदी भाग हैं, उनके उत्पादन का मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में सरकार की कोई नीति नहीं है । उन लोगों को अपने भाग्य पर छोड़ दिया जाता है । उन की पैदावार—गेहूं,

[श्री व्रजराज सिंह]

बाजरा, जौ, चावल आदि—जिस भाव पर भी बिके, सरकार को उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। इस का नतीजा यह है कि किसान जब कभी अपने परिश्रम से अच्छी फसल पैदा करता है, तो उसको अपने श्रम का उचित मूल्य नहीं मिलता है।

इसी के साथ साथ एक दूसरी समस्या है, जिस पर इस बिल में कोई ध्यान नहीं दिया गया है और मैं चाहता हूं कि सरकार का ध्यान उधर जाये। जब भी किसान की फ़सल उसके घर में जाती है, तो फसल के दाम कम हो जाते हैं और जब वह किसान के यहां से बीच के लोगों के, व्यापारियों के हाथ में चली जाती है, तो उसके दाम बढ़ने लगते हैं। नतीजा यह है कि एक तरफ तो अन्न के उत्पादक की लूट होती है, शोषण होता है और दूसरी तरफ़ अन्न के उपभोक्ताओं का—गांवों में रहने वाले २५, ३० सैकड़ा उन लोगों का, जिनके पास या तो ज़मीन नहीं है, या इतने ज़मीन नहीं कि वे उचित मात्रा में अन्न पैदा कर सकें, और शहरों के १८ फ़ीसदी उन लोगों का, जो खुद अन्न पैदा नहीं करते हैं और जो दूसरे देशों में लगे हुए हैं—शोषण होता है। अगर हम हिसाब लगायें, तो हिन्दुस्तान में जितना उत्पादन हो रहा है ग़ल्ले का, उसमें फ़सल और ग़ैर-फ़सल के दामों में—फ़सल के समय और फ़सल के बाद के दामों में—सिर्फ पांच रुपये का फ़र्क पड़ने पर, जैसा कि अक्सर पड़ जाया करता है, ४०० करोड़ रुपये सालाना की लूट किसान और उपभोक्ता की हो जाया करती है। यह एक ऐसी स्थिति है, जिस पर सरकार को गम्भीरतापूर्वक विचार करने की ज़रूरत है।

हम तेल, शक्कर और कपड़े आदि वस्तुओं की मूल्य-नीति पर विचार करते हैं। सरकार की तरफ से ऐसी कमेटियां बनी हुई हैं, जो यह तय करती हैं कि तेल, कपड़े, शक्कर, लोहे और कार ानों में बनी हुई दूसरी चीज़ों का मूल्य कब क्या हो। लेकिन यह अफ़सोस की बात है कि हिन्दुस्तान की सत्तर फ़ीसदी आबादी जिस चीज़ को पैदा करती है, उसके दाम निर्धारित करने की ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है और कोई कमेटी बनाने की तरफ़ कोई सक्रिय कार्यवाही नहीं हुई है। मुझे खुशी है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि किसान की पैदावार के दाम निर्धारित किये जाने चाहिए।

यह देख कर अफ़सोस होता है कि जब पिछले दिनों खाद्य मन्त्री महोदय की तरफ़ से यह बात कही गई कि वह इस तरह की एक कमेटी बनाने पर विचार कर रहे हैं, जिसमें किसानों और सरकार के प्रतिनिधि और कुछ विशेषज्ञ होंगे और जो किसान की पैदावार के दाम निर्धारित करेगी, तो प्लानिंग कमीशन की तरफ से तुरन्त यह आपत्ति की गई कि इस तरह की कमेटी हमेशा ऐसी बात कहेगी, जिससे किसानों की पैदावार के दाम बढ़ते रहेंगे और अगर उसके दाम बढ़ते हैं, तो फिर योजना कभी भी सफल नहीं हो सकती है। यह कैसी अजीब दलील है। अप्रत्यक्ष रूप से इसका तात्पर्य यह है कि प्लानिंग कमीशन का थिंकिंग, उसका विचार यह है कि अगर हिन्दुस्तान की योजना सफल करनी है, तो यहां के किसानों को अपनी पैदावार के उचित दाम नहीं मिलने चाहियें और अगर उनको उचित दाम मिलेंगे, तो योजना सफल नहीं होगी, क्योंकि उससे मुद्रा-स्फीति (इंफलेशन) बढ़ेगी, चीज़ों के दाम तेज़ हो जायेंगे और इस प्रकार योजना असफल हो जायगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत ही ग़लत नीति है और इसका अर्थ अन्न के उत्पादकों को, जो कि देश की आबादी का सत्तर फ़ीसदी हैं, उनके श्रम के उचित मूल्य से वंचित करना है—उन को अपने इस अधिकार से वंचित करना है कि उन को अपने श्रमका उचित और पूरा फल मिले।

हम चाहते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में उचित मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन हो, अन्न के सम्बन्ध में देश आत्म-निर्भर हो, विदेशों से हम जो अन्न मंगा रहे हैं, वह न मंगाया जाये, इतना अन्न देश में पैदा हो। लेकिन प्रश्न यह है कि देश में अन्न पैदा करने के कौन से साधन अपनाये जा रहे हैं। क्या किसानों में खाद के वितरण से ही देश में अन्न का उत्पादन बढ़ जायगा ? क्या अंग्रेजी पत्रों में इस आशय के विज्ञापन छापने से कि किसान ज्यादा अन्न पदा करें, हम अन्न के बारे में आत्म-निर्भर हो जायेंगे ? मैं निवदन करना चाहता हूं कि यह तरीका नहीं है अधिक उत्पादन करने का। अगर अधिक उत्पादन करना है, तो किसानों को कुछ सुविधायें देनी पड़ेंगी, उन को प्रोत्साहन देना पड़ेगा उन को यह बताना पड़ेगा कि कि उनको अपने श्रम का उचित फल मिलेगा, अपनी पैदावार का उचित मूल्य मिलेगा।

मान लीजिये कि इस साल गेहूं बीस रुपये मन बिक रहा है—वास्तव में वह १६, १७ रुपये मन आजकल बिक रहा है—और किसान ने अगले साल आज से ड्योढ़ी फसल पैदा की—यदि आज वह १०० मन गेहूं पैदा कर रहा है, तो अगले साल १५० मन पैदा की—और उसके बाद जब वह बाजार में जाता है, तो गेहूं की कीमत १२, १३ रुपये मन रह जाती है, तो इसका मतलब यह है कि उस को अपने श्रम का फल नहीं मिला और बीच के लोग ही उस को ले गये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है और सरकार को इस पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करना चाहिए कि क्या अब वह समय नहीं आ गया है कि यदि हम पंचवर्षीय योजना को सफल बनाना चाहते हैं और देश को खाद्यान्न के विषय में आत्म निर्भर बनाना चाहते हैं, तो ऐसी नीति निर्धारित की जाये, जिससे खाद्यान्न के उत्पादक को अपने श्रम का उचित फल मिल सके। जब तक उस को उचित मूल्य नहीं मिलेगा, जब तक उस को प्रोत्साहन नहीं मिलगा कि वह अधिक अन्न उपजाये, जब तक उस को इस बात का विश्वास नहीं दिलाया जायगा कि अधिक अन्न उपजाने का नतीजा यह नहीं होगा कि गल्ले के दाम गिर जायेंगे और उसको हानि उठानी पड़ेगी, तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती है। अगर कारखानों में बनी चीज़ों के दाम न गिरें, लोहे, सीमेंट, कपड़े के दाम कम न हों, उत्पादन बढ़ जाने के बावजूद चीनी के दाम न गिरें, किसान की ज़रूरतों को पूरा करने की चीज़ों के दाम कम न हों, लेकिन खाद्यान्नों के दाम गिर जायें, तो नतीजा यह होगा कि उस के श्रम का उचित फल उस को नहीं मिलेगा। ज़रूरत इस बात की है कि सरकार इस बात पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करे।

जहां तक मूल्यों के निर्धारण का सम्बन्ध है, यह कह देना ही—जैसा कि श्री झूलन सिंह ने कहा है—काफी नहीं है कि फसल से काफी समय पहले दाम निश्चित कर दिये जायें। मूल्य-निर्धारण के सिद्धान्त को तय करने का काम सरकार पर छोड़ देना ठीक नहीं है। प्रश्न यह है कि किस सिद्धान्त पर दाम निश्चित किये जायें। सिद्धान्त यह होना चाहिए कि जो किसान खेती कर रहा है, उस को हम उचित मात्रा में इतना पैसा दे सकें कि जिससे वह अपनी जिन्दगी की गुज़र बसर कर सके। केन्द्रीय सरकार के छोटे से छोटे कर्मचारी को जितना माहवार मिलता है, यदि उतना ही किसान को देने की व्यवस्था हो सके, तब जाकर किसान की पैदावार के उचित मूल्य निर्धारित करने की बात उठेगी। अभी सरकार की यह विचार धारा चल रही है कि खेती के उत्पादन के दाम बढ़ न पायें, इसलिये हम को सीलिंग लगानी चाहिए, सीमा बांधनी चाहिए। मैं समझता हूं कि यह उचित बात नहीं होगी। इस समस्या के समाधान के लिये एक कमेटी नियुक्त करनी पड़ेगी और उस में किसानों के प्रतिनिधि रहें। जब तक उस में किसानों के प्रतिनिधि

[श्री ब्रजराज सिंह]

नहीं रहेंगे और उस में इस बात की जांच-पड़ताल नहीं की जायगी कि फ़सल शुरू होने के समय से लेकर खत्म होने के समय तक, आषाढ़ से लेकर वैशाख तक, एक मन गेहूं पैदा करने में कितना खर्च करना पड़ता है, तब तक किसानों के साथ न्याय नहीं हो सकेगा। मैं सरकार के प्रतिनिधियों और प्रवक्ताओं से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उनमें से कोई भी ऐसा है, जो यह बता सके कि एक मन गेहूं, या चावल, या बाजरा, या जवार पैदा करने में किसानों को कितना खर्च करना पड़ता है। कोई नहीं बता सकता है। इस का कोई हिसाब-किताब नहीं है। हमारे किसान पिछड़े हुए हैं और हिसाब रखना नहीं जानते हैं। उन का ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम आठ घंटे काम करेंगे—वे सोलह घंटे काम करते हैं। इतना काम करने के बाद भी अगर उन को रुपया, सवा रुपया भी नहीं मिलेगा, जबकि छोटे से छोटे सरकारी कर्मचारी को तीन रुपया हम देना चाहते हैं, तो उन के साथ अन्याय होगा। इस सूरत में हम योजना को सफल बना सकेंगे, यह मौलिक सिद्धान्तों के खिलाफ़ होगा।

किसान की पैदावार के दाम निर्धारित करने के लिये सैद्धान्तिक रूप से यह तय करना चाहिए कि सरकार की तरफ से एक कमेटी बनाई जाये, जो इन सब बातों की जांच पड़ताल करे और अपनी रिपोर्ट दे। हम देखते हैं कि टैरिफ कमीशन कारखानों की बनी हुई चीज़ों के बारे में लगातार विचार करता रहता है कि किस चीज़ का कब क्या मूल्य हो। आज से दस साल पहले सीमेंट की बोरी तीन रुपये में आती थी, जब कि आज सरकार की ओर से निर्धारित की हुई कीमत ७ रुपये बोरी है, जिस का अर्थ है कि इन दस सालों में उसका मूल्य चार रुपये बढ़ गया। जिस तरह टैरिफ कमीशन अन्य वस्तुओं के मूल्य तय करता है, उसी तरह सरकार किसान की पैदावार के दाम तय करने के लिये इस बात की जांच-पड़ताल क्यों नहीं कराती है कि एक साल में एक मन गेहूं, या चावल या दूसरी कोई चीज़, पैदा करने में कितना खर्च करना पड़ता है। जब तक इस तरह का उसूल निर्धारित नहीं किया जाता है, सिद्धान्त निर्धारित नहीं किया जाता है तब तक किसान को उचित मूल्य मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। जरूरत इस बात की है कि किसान को उचित मूल्य उसकी फसल का मिले। असल चीज़ यह है कि कोई चाहे कुछ भी काम करता हो, नौकरी करता हो, व्यापार करता हो, खेती करता हो, उन सब का उद्देश्य यह है कि वे अपने जीवन के खर्चे जुटा सकें। जब तक आप उनको जीवन का खर्चा नहीं दिला सकते हैं और इसके लिये कुछ सिद्धान्त तय नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता है। दूसरों के लिए आपने यह सिद्धान्त तय कर रखा है कि वे प्राविडेंट फंड में पैसा कटायें, कुछ बचत करें। ऐसे वक्त के लिए जब कि उन पर कोई मुसीबत आ पड़े और वह उनके काम आ सके, तो किसान के लिए भी कोई ऐसी ही व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है। बचाने की बात कही जाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कभी इस बात को सोचा जाता है कि आज़ाद हुए हमको चौदह साल हो गये हैं और इन चौदह सालों में किसानों के कितने बेटे बड़े बड़े पदों पर पहुंच पाए हैं, कितने बेटों को शिक्षा मिल पाई है? अगर आपने इसके बारे में कभी नहीं सोचा है और न ही इस का पता लगाने की कोशिश की है तो क्यों आप इसको अब नहीं करते हैं।

इन सारी समस्याओं पर विचार आप करें तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि किसान की स्थिति ऐसी रही है कि वह अपने बच्चों को पढ़ाने की स्थिति में नहीं रहा है, अच्छी

जिन्दगी बसर करने की स्थिति में नहीं रहा है, संकट के समय के लिए कुछ बचा कर रखने की स्थिति में नहीं रहा है, । आखिर इस सब की क्या वजह है ? किसान पैदा करता है, सरकारी आंकड़े बताते हैं कि उत्पादन देश में बढ़ता जा रहा है, अन्न की मात्रा में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है लेकिन इसके बावजूद भी किसान की हालत अच्छी नहीं है । इसकी वजह जब आप मालूम करने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका एक मात्र कारण यह है कि किसान के उत्पादन का सरकार की तरफ से कोई ऐसा मूल्य निर्धारित करने के सिद्धान्त तय नहीं है कि उसको उत्पादन व्यय से कम न मिले । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को विश्वास है कि किसान की पैदावार के जो दाम उसको इस वक्त मिलते हैं, वे उसके उत्पादन व्यय से कहीं कम तो नहीं हैं ? इसको कोई भी नहीं बता सकता है कि ये दाम उत्पादन व्यय से कम हैं या अधिक हैं । सरकार को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए और इसकी घोषणा करनी चाहिये कि वह एक कमेटी बनाने के लिये तैयार है किसान द्वारा उत्पादित चीजों के दाम तय करने के लिये और यह कमेटी निर्धारित करेगी कि किस वक्त किसान की किस पैदावार का उत्पादन मूल्य क्या है और उत्पादन मूल्य पर वह क्या मुनाफा उसको देना चाहती है और उसके बाद इसी हिसाब से उसके मूल्य निर्धारित वह करे ।

यह तो किसान की बात हुई । अब कहा जा सकता है कि किसान द्वारा उत्पादित वस्तु की कीमत निर्धारित करने की बात जब हम करते हैं तो उसी के साथ साथ उन लोगों का भी हमें ख्याल रखना होगा जो कि खाद्यान्न का उपभोग करते हैं, इसको खाते हैं । मैं इसको मानता हूं । मैं इससे इन्कार नहीं करता हूं । मैं स्वीकार करता हूं कि पचास प्रतिशत देश की जनता ऐसी है जो कि खाद्यान्न को खरीद कर खाती है, उसका उपभोग करती है । पचास प्रतिशत जनता ऐसी है जो खुद पैदा नहीं करती है । मैंने अभी कहा कि २५-३० प्रतिशत इसमें से गांवों में रहते हैं और १८-२० प्रतिशत शहरों में रहते हैं और ये खुद पैदा नहीं करते हैं । उनकी सुरक्षा के लिए मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से यह भी निश्चित हो जाए कि एक फसल पर अगर गेहूं १६ रुपये मन बिकता है तो दूसरी फसल जब तक नहीं आ जाती है तब तक ढाई रुपये मन से ज्यादा किसी हालत में भी कीमत में वृद्धि नहीं हो सकेगी ।

अफसोस की बात यह है कि राज्य व्यापार योजना या स्टेट ट्रेडिंग की जब बात की जाती है तो उसमें भी मुनाफे की मात्रा काफी रहती है । यह बात गलत है फिर चाहे यह आयल का मामला हो, तेल का मामला हो, या चीनी का मामला हो या कोई और मामला हो । हमें देखना होगा कि सरकार खुद मुनाफा न करे । जब तक हम खुद मुनाफे की मात्रा कम नहीं करेंगे तब तक जो उपभोक्ता लोग हैं जो पचास प्रतिशत के करीब हैं, उनके दिमागों में यह भावना बनी रहेगी कि किसान को बढ़े हुए मूल्य मिल रहे हैं, किसान हमें कम दाम में नहीं दे रहे हैं और हमारा शोषण हो रहा है ।

इस वास्ते मैं दो बातें कहना चाहता हूं । जहां पर किसान की पैदावार के दाम निर्धारित करने की जरूरत का सवाल है, वह जरूरी है लेकिन उसी के साथ साथ यह भी जरूरी है कि किसी किसान को किसी फसल पर जो मूल्य दिया जा रहा है, उसके बाद से दूसरी फसल आने तक एक निश्चित मात्रा तय कर दी जाए और वह मात्रा छः नए पैसे सेर से ज्यादा किसी सूरत में न हो और कह दिया जाए कि इससे अधिक भाव नहीं बढ़ेंगे । इसी में बीच के आदमी का मुनाफा शामिल होगा, सरकार के टैक्स शामिल होंगे, किसी वस्तु के एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने का जो खर्चा है, वह शामिल होगा । ऐसा

[श्री ब्रजराज सिंह]

करके आप उपभोक्ता को भो राहत दे सकेंगे और उत्पादक को भी राहत पहुंचा सकेंगे। अब समय है कि सरकार इस नीति पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे और श्री झूलन सिंह के बिल का जो उद्देश्य है, उसको स्वीकार करे।

Dr. M. S. Aney (Nagpur): This Bill raises a very important point for the consideration of this House. It appears to be very simple, but the questions raised by it are not so very simple. In fact, they are very vital. The Bill seeks to fasten on the Government the responsibility of fixing the prices of foodgrains.

We all know that to some extent in the enunciation of policy, this fact has been frequently admitted by the Government and those who advocate the Five Year Plan etc., that they cannot carry on the work unless the price line is held firmly. That is a general proposition admitted by them all, and in their own way they think of doing certain things to hold the price line. But in spite of all the Herculean efforts being made by them, the people most vitally concerned think that the price line is not being held, though the Government thinks that somehow or other they have been able to keep it at a point where it was a few years ago.

The prices of foodgrains by themselves are not an independent entity. It is interlinked with other things. You cannot fix the prices of foodgrains without taking into consideration certain other factors also. Unless you fix the prices of the other crops and other commodities needed by the people, linking them all together, you cannot take up the question of the price of foodgrains alone and ask the State Government to fix it. The conditions in different States are also different. This is a most complicating factor.

I do not want to blame anybody, nor am I in the habit of finding fault with anybody, but I should like to point out that this is a Bill sponsored by a private Member belonging to the Government party, and though there may be somebody representing the Food and Agriculture Ministry here—I do see the hon. Deputy Minister—I do not find the Government showing much interest in this discussion. I want to make it perfectly clear that my remarks are not made in any spirit of disparagement against anybody, but the thin attendance in the House seems to indicate that the House itself does not appear to take much interest in the affair. While my hon. friend, feeling very keenly over this matter, has brought forward this Bill and it is under consideration, and we all consider the question of food to be of paramount interest, the attendance in the House is such that if one were to raise the question of quorum I do not know what the position will be. It is in this state of things that we are discussing the matter.

One thing is certain. Whatever be the fate of this Bill, the question raised here is one that concerns not only the cultivators but the entire economic fabric of India and the structure of the Third Plan which we are going to undertake. The price of foodgrains, along with that of other commodities, has to be taken in hand, and a supreme effort should be made to arrive at a price structure that will enure at least for a period of five years, on the basis of which you can go on and make all your programmes, take loans, spend the money, and prepare the most expensive plans also.

The nature of the Bill is this. So far as the cultivator is concerned, this is the minimum encouragement that you can give him. All the other encouragements that you have promised him are of a different nature. If he is guaranteed the price at which things are going to be sold, you can expect him to make the utmost effort

to carry out his work and make the best contribution to the economy of the country.

I therefore wish success to my hon. friend who is making a Herculean effort to move the conscience of those concerned which seems to be sleeping over an important point like this.

श्री विश्वनाथ राय (सलेमपुर) : माननीय सभापति जी, सदन के सामने प्रस्तुत बिल का ध्येय सरकार का ध्यान इस बात की ओर फिर दिलाना है कि भारत में जो ७१ प्रतिशत कृषक हैं, उनके स्वार्थ की रक्षा ही न हो बल्कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको भी आत्म निर्भर बनाया जाय । अभी सन् १९६१ की जनगणना ने सिद्ध कर दिया है कि हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में भी भारत की ७१ प्रतिशत आबादी उन लोगों की है जो खेतों में काम करके अन्न का उत्पादन करते हैं, और ९ प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो कृषि से सम्बन्धित अन्य कार्यों में लगे हुए हैं । इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो इस बिल का उद्देश्य है, जिस पर सरकार ने ध्यान देने का समय समय पर वादा भी किया है, उस पर अब तक उसने कोई ध्यान नहीं दिया है । तृतीय पंच-वर्षीय योजना भी सामने आ गई है, लेकिन उसमें इस बात के लिए कोई निश्चय नहीं किया गया है कि जो यह भारत के ८० प्रतिशत निवासी हैं, उनसे सम्बन्धित जो व्यवसाय है, जो उनके जीवन निर्वाह का साधन है, उसे न केवल आत्म निर्भर बनाया जाय बल्कि उसका संरक्षण भी हो ।

जैसा हमारे विरोधी दल के एक माननीय सदस्य ने अभी कहा हमारे देश के ५० प्रतिशत आदमी खाद्यान्न खरीद कर खाते हैं । यह सही है, लेकिन साथ ही साथ यह भी सही है कि जो लोग कृषि के काम में लगे हुए हैं वे स्वयं उत्पादन भी करते हैं और कभी कभी खरीद कर भी खाते हैं । इस प्रकार भारत की आबादी का केवल २० प्रतिशत भाग ऐसा है जो केवल दूसरों से अन्न खरीद कर अपना काम चलाता है । आज केवल गन्ने के दाम निश्चित हैं । ऐसी हालत में जब कि जीवन की आवश्यकताओं की अन्य वस्तुओं के दाम, यहां तक कि दियासलाई मिट्टी के तेल के भी, दाम निश्चित हैं, बाकी सारी चीजों के दाम निर्भर करते हैं अधिक या कम उत्पादन होने पर, तब यह आशा करना कि हिन्दुस्तान को अन्न के सम्बन्ध में आत्म निर्भर बनाया जाय, एक आश्चर्य की ही बात हो जाती है ।

यह सही है कि हमारा अन्न उत्पादन पिछले दस वर्षों में, अर्थात् दो पंचवर्षीय योजनाओं में ४० प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन जिस प्रकार से हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, यानी ५० लाख से अधिक आदमी हर साल बढ़ रहे हैं । पिछले दस सालों में ७ करोड़ आदमी बढ़ गये, उस हिसाब से हमारा उत्पादन नहीं बढ़ रहा है । इसके कारण अनेक हो सकते हैं । कृषि के लिए जरूरी चीजों के भावों का बढ़ना भी हो सकता है और अन्य कारण भी हो सकते हैं किन्तु एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि कृषक को विश्वास नहीं है कि जितना श्रम वह कर रहा है, जितना उत्पादन वह कर रहा है उसका उचित मूल्य उसे मिलेगा या नहीं । मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि आजसे लगभग ३० साल पहले लगभग सन् १९२८–३० में चीनी के सम्बन्ध में भी ऐसी ही समस्या थी जैसी इस समय अन्न के बारे में है । कुछ वर्षों बाद उस समय की सरकार ने यह नीति चलाई कि जो भी गन्ने का उत्पादन करेगा उसका वह मूल्य निर्धारित करेगी । उसके पहले एक साल तो ऐसा हुआ था कि गन्ना २ आ० मन बिक गया था, लेकिन जब से सरकार ने यह निश्चय किया कि वह कम से कम दर निश्चित करेगी, उसके बाद से गन्ने का उत्पादन बढ़ा और आज जो हिन्दुस्तान चीनी के बारे में आत्म

[श्री विश्वनाथ राय]

निर्भर है, वह आपके सामने है । उसी तरह से यदि किसान को विश्वास हो जाय कि उसका पैदा किया हुआ खाद्यान्न उचित मूल्य पर बिकेगा, तो हमारा देश इस के विषय में भी वैसे ही आत्म निर्भर बन सकता है, जैसे गन्ने या चीनी के सम्बन्ध में हुआ है । सरकार इस बात को बार बार टालती जा रही है और कहती है कि विचार हो रहा है और जल्दी निर्णय किया जाएगा, लेकिन बरसों इस प्रकार से बीत गये, और तीसरी योजना काल में भी कोई सुझाव इस तरह का मालूम नहीं होता है जिससे लोगों को विश्वास हो कि इन ८० प्रतिशत लोगों को उनके परिश्रम का उचित मूल्य मिलेगा । ऐसी हालत में क्या सरकार यह आशा कर सकती है कि उन किसानों को अधिक अन्न उपजाने के लिये प्रोत्साहन मिल सकेगा या देश खाद्यान्न के बारे में आत्म निर्भर बन सकेगा ? मेरा खयाल है कि वह देश को आत्म निर्भर नहीं बना सकेगी ।

सरकार का यह सोचना कि अन्न के मूल्य निश्चित करने से अन्य उद्योग धन्धों पर असर पड़ेगा, अगर ऐसा वह सोचती है, भ्रम होगा । हो सकता है कि शुरू में कुछ असर पड़े, लोग एक अन्न को छोड़ कर दूसरे अन्न की तरफ ध्यान दें, या जो लोग शहरों में गांवों से आ रहे है, उस में कुछ फर्क पड़े, लेकिन यह निश्चित है कि अगर लोगों में आत्म-विश्वास हो तो यह कठिनाइयां दूर हो जायेंगी और अन्न का उत्पादन बढ़ सकेगा । जो हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा । आप विश्वास रखें इस बात का कि जिस प्रकार से हमारी अर्थ-व्यवस्था आगे बढ़ रही है उसी प्रकार से वह बढ़ती जायेगी, उस की उन्नति होगी, और खाद्यान्न का मूल्य निर्धारित होने पर कोई बुरा प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा ।

आज यहां पर तुलना का समय तो नहीं है, लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जब आप कपड़े की दर निर्धारित कर सकते हैं, उस पर मोहर लगा सकते हैं तो सारे देश में जो अत्यन्त आवश्यक वस्तु है, अर्थात् गेहूं, धान आदि, उन के बारे में क्या कुछ नहीं कर सकते ? मैं समझता हूं कि आप कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं । किन्तु कुछ ऐसा मालूम होता है कि सरकार उद्योग धन्धों को देश में बढ़ाने के विचार से, इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के विचार से इस ८० प्रतिशत वर्ग की उपेक्षा कर रही है, जो कि हमारे उत्पादन बढ़ने का आधार है, इस समाज के जो सब से बड़े अंग हैं । यह ठीक है कि स्टील या कपड़ा उद्योग के सम्बन्ध में हम बहुत आगे बढ़ गये हैं, लेकिन जो हमारे समाज का आधार है, ८० प्रतिशत जो किसान हैं, उन की उपेक्षा कर के हम देश में सुख और समृद्धि नहीं ला रहे हैं ।

बहुत से सदस्यों ने इस बात को यहां पर कई बार दोहराया है, यह दोहराना सही है कि किसान जो समाज का बड़ा अंग है, दूसरे २० प्रतिशत लोगों के मुकाबले कितना गिरा हुआ है । वह आज अपनी आवश्यकता की चीजों का भी प्रबन्ध नहीं कर पाता है, अपने बच्चों की शिक्षा और दवा आदि का प्रबन्ध भी नहीं कर पाता । क्या सरकार को इस बात की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिये कि जो ये ८० प्रतिशत लोग हैं उन की हालत वास्तव में बाकी २० प्रतिशत लोगों से, जिन को उपभोक्ता कहा जाता है, अच्छी होती जाय ? क्या ८० प्रतिशत लोगों का शोषण होता रहे ? क्या वे अपने जीवन निर्वाह के योग्य न बन सकें और क्या अपनी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में वे उतने योग्य न बन सकें जितने २० प्रतिशत लोग हैं ? यह हमारी सरकार के लिये शोभा की बात नहीं है । यह सही है कि सरकार ने उन लोगों की ओर देखा है, प्रयास भी करती है, लेकिन जो हमारी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था है उस को सुधारने के लिये सरकार क्या करेगी, इस ओर मैं उस का ध्यान खींचना चाहता हूं

और अनुरोध करता हूं कि वह इस का स्पष्टीकरण करे । क्या हम आशा करें कि निकट भविष्य में सरकार इस बात के लिये प्रयास करेगी जिससे किसानों को उचित मूल्य उस के उत्पादन का मिले और हमारे देश की जो अर्थ व्यवस्था है उस में उन का संरक्षण हो सके । उन की स्थिति में सुधार हो सके, केवल पेट पालने के लिये ही नहीं बल्कि जो अन्य आवश्यक चीजें हैं, उन के जीवन की, शिक्षा है, सांस्कृतिक और भावनात्मक उत्थान की बातें हैं दवादारू हैं उन के सम्बन्ध में उन को पूरी सुविधा मिले । यह चीज आप को अवश्य करना होगा । मैं तो आप से इतना ही इस समय कह सकता हूं कि जो यह बिल है उस की शब्दावली को आप भले ही न मानें, लेकिन उस के पीछे जो मूल तत्व है उस को कार्यान्वित करने का प्रयास करना होगा ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन तो करता ही हूं, सरकार को भी यह बात बतला सकता हूं कि जिस तरह से आज चीनी के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान आत्म निर्भर है, जिस तरह से गन्ने का मूल्य निर्धारित कर के किसानों को प्रोत्साहन दिया गया है उसी तरह से जो खाद्यान्न है उन के सम्बन्ध में भी मूल्य निर्धारण की नीति की घोषणा कर के उन को प्रोत्सहन दिया जाय और देश को अन्न के मामले में आत्म निर्भर बनाया जाय ।

पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी (सागर) : माननीय सभापति महोदय, भाई झूलन सिंह जी ने जो यह बिल सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं । उन्होंने हमारा ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ आकर्षित किया है ।

अनेक बार इस विषय में इस सदन के सामने चर्चा आयी । मेहता कमेटी की रिपोर्ट का मुझे स्मरण है । इस सदन के सामने यह बात रखी गयी कि हमको किसान की हालत सुधारनी है, हमको यह प्रयत्न करना होगा कि जो आदमी इस देश की बहबूदी के लिए, इस देश के समाज का पालन करने के लिए खेत में अपना खून पसीना बनाता है, मेहनत मशक्कत करता है उसको उसकी मेहनत का सिला दिया जाए । मैं देखता हूं कि यह चर्चा बार बार इस सदन के सामने आयी । आश्वासन भी दिए गए, लेकिन इस दिशा में जितनी तेजी से आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए वे नहीं उठाए गए, उसमें विलम्ब हो रहा है ।

हम जब किसान से उत्पादन बढ़ाने के लिए कहते हैं तो किसान हमसे पूछता है कि मैं उत्पादन किस बात के लिए बढ़ाऊं, मुझ को उत्पादन बढ़ाने से क्या सिला मिलने वाला है । वे कहते है कि अगर हम बाजार को गल्ले से पाट दें हमारी क्या हालत होने वाली है । गए वर्ष हमारे इलाके में किसानों ने अच्छा पैदा किया, वे इस दिशा में जुटे हैं । हम लोग भी उनको प्रोत्साहित करते हैं । लेकिन नतीजा क्या है । गल्ले से बाजार पट जाता है । वहां पर सरकार थोड़ा बहुत गल्ला खरीदने की कोशिश करती है । लेकिन बहुत कम गल्ला निर्धारित मूल्य पर खरीदा जाता है और अधिकांश बाजार में मिट्टी के मोल जाता है और किसान देखता है कि उसकी मेहन्त के बदले में उसके पल्ले बहुत कम पड़ा है । और वह महसूस करता है कि उसको जो शासन और समाज की ओर से प्रापर इंसेंटिव मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है ।

उद्योग धंधों का हम विकास करना चाहते हैं और उन उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल्य हम निर्धारित करते हैं । हमें यह ख्याल रहता है कि जो शक्कर का उत्पादक है उसे उचित मुनाफा मिलता है या नहीं, जो लोहे का उत्पादक है उसे अपने माल का उचित मूल्य मिल रहा है या नहीं, लेकिन लाख लाख कोटि किसानों को उनकी मेहनत का सिला मिल रहा है कि नहीं इसकी तरफ हमारा कितना ध्यान जाता है ? इस तरफ हमें विचार करना होगा । मैं महसूस करता हूं कि हमें और हमारे शासन को इस दिशा में सोचने की जरूरत है । अगर हम इस देश की आर्थिक

[पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी]

स्थिति को सुधारना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि इस देश में शान्ति और सुव्यवस्था कायम रहे तो यह जरूरी है कि कोटि कोटि आदमी जिस धन्धे में लगे हुए हैं उस धन्धे की तरक्की की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। जिस धन्धे में देश के बहुसंख्यक लोग लगे हुए हैं उसको ज्यादा मुनाफा वाला बनाने की हमको व्यवस्था करनी होगी। कृषि एक ऐसा धन्धा है कि जिसमें इस देश का बहुसंख्यक समाज लगा हुआ है और इस देश की कोटि कोटि जनता की भूख तृप्त करने के लिए यह जरूरी भी है कि इस धन्धे में देश का बहुसंख्यक समाज लगा है। लेकिन अगर उस समाज को उचित मुनाफा नहीं मिलेगा तो वह किस तरह से उस काम को करेगा। मैं तो देखता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आदमी उसी काम में लगते हैं जिसमें उनको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होता है। जिसमें कम मुनाफा होता है उसमें आदमी नहीं लगना चाहता। मजबूरी से भले ही ऐसे काम में कुछ आदमी लगे रहें लेकिन साधारणतया उसी काम में आदमी लगना चाहता है जिसमें उसको अधिक से अधिक मुनाफा हो। आज हमने इस देश के किसान को ऐसी स्थिति में रटक रखा है कि उसको पर्याप्त मुनाफा नहीं होता। हमने देखा है कि हमारे इलाके के नौजवान खेती की ओर आकर्षित नहीं होते। वे घर में बैठ कर बीड़ी बनाते हैं, वे छप्पर के नीचे बैठ कर उस काम में दिन भर मेहनत करते हैं। वे जानते है कि उस काम से उनके स्वास्थ्य पर अच्छा असर नहीं पड़ता, लेकिन वे यह तो देखते हैं कि दिन भर मेहनत करके एक दो रुपया पैदा कर लेते हैं। दूसरी ओर पांच या छ: एकड़ की खेती में—और यही देश के किसान की औसत खेती की जमीन होती है—सारा परिवार लगा रहता है तब उसे वर्ष भर में चार पांच सौ रुपया मिलता है, और वह भी सिंचाई के इलाके में। हां अगर वह परिवार गन्ना या कोई ऐसी चीज उगाता है तो कुछ ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। लेकिन खेती में ज्यादा लाभ नहीं है क्योंकि हमने चीजों का मूल्य निर्धारित करके किसान को उचित मुनाफा दिलाने की दिशा में अब तक कदम नहीं उठाया है।

हम जब यह चाहते हैं कि खेती में तरक्की हो तो हमें एक ओर चीज की ओर ध्यान देना होगा। मैं चाहूंगा कि शासन इस दिशा में विचार करे कि जो विभिन्न खेतियां हैं उनमें प्रति एकड़ कितना खर्च आता है। हमारे विभाग ऐसा सव करें कि औसतन एक किसान को एक एकड़ काश्त करने के बाद कितना खर्चा आता है और हम यह भी विचार करें कि हमें उस आदमी को कितना मुनाफा देना चाहिए। अगर कोई आदमी किसी कल कारखाने में काम करता है तो उसको दिन में डेढ़ रुपया मिल जाता है। इसलिए हमको यह व्यवस्था करनी चाहिए कि किसान को भी वर्ष भर के बाद कम से कम उसके बराबर मुनाफा तो मिल सके। मैं तो समझता हूं कि देश वासियों को रोटी देना देश के लिए सबसे हित का काम है। अच्छा तो यह हो कि उस रोटी देने वाले आदमी को हम अधिक से अधिक सहूलियत दें और उसको अधिक से अधिक मुनाफा देने की व्यवस्था की जाए। यह मैं मानता हूं कि रोटी को दूसरी चीजों की तुलना में बहुत मंहगा नहीं किया जा सकता। हमें यह ख्याल रखना होगा कि अन्न का दाम इतना न बढ़ जाए कि समाज की पहुंच के बाहर हो जाए, लेकिन तो भी आपको यह व्यवस्था तो करनी ही चाहिए जो दूसरों का पेट भरने वाला है वह स्वयं नंगा और भूखा न रहे।

श्री भाई झूलन सिंह जी ने इस बिल को इस सदन के सामने लाकर सदन का ध्यान इस प्रश्न की ओर आकर्षित किया है उसके लिए मैं पुनः उनको धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि शासन इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगा और जल्द से जल्द कोई ऐसा कदम उठाएगा ताकि किसान जो आज मायूस हो रहा है वह आस्वस्थ हो जाए।

इस प्रश्न पर विचार करते समय मैं एक

चीज़ और महसूस करता हूं । आज किसान में यह प्रवृत्ति हो रही है कि क्यों न अपनी जमीन में तम्बाकू पैदा की जाए, या क्यों न अरंडी या गन्ना पैदा किया जाए क्योंकि इनमें ज्यादा मुनाफा होता है । मैं ने देखा है कि लोग गन्ने की खेती की तरफ ज्यादा जाते हैं क्योंकि उसमें काफी मुनाफा है । लेकिन मैं तो यह देखकर आज दुखी होता हूं । आज लाखों एकड़ जमीन गन्ने की तरफ डाइवर्ट की जा रही है क्योंकि गन्ने में मुनाफा ज्यादा है और उसकी तुलना में गेहूं और धान की तरफ कम ध्यान है । अगर देश में इस असंतुलित ढंग से खेती की जाएगी तो उसका परिणाम देश के लिए हितकर नहीं होगा । अगर हम गेहूं, चना, ज्वार और धान आदि अन्न की पैदावार के लिए किसान को अधिक पैसा देने की व्यवस्था नहीं करेंगे तो वे कैश क्राप्स को ज्यादा पैदा करेंगे और उसका नतीजा होगा कि विदेशों को हमको गल्ला मंगाने के लिए ज्यादा रुपया देना पड़ेगा । इन सब दृष्टियों से विचार करने पर यह जरूरी मालूम होता है कि वर्ष के प्रारम्भ में ही किसान की पैदावार का उचित मूल्य शासन की ओर से निर्धारित कर दिया जाए तो किसान आस्वस्थ रहे कि जो चीज वह उगाएगा उसका उसको इतना मुनाफा मिलेगा । अगर ऐसी व्यवस्था हो जाएगी तो वह गल्ला पैदा करने की ओर आकर्षित होगा ।

राजा महेन्द्र प्रताप (मथुरा) : सभापति महोदय, मेरे कुछ विचार जरा अलग अलग हैं । यह मैं शुरू में निवेदन कर दूं । मुझे यह बड़ा बुरा लगता है और मैं चार साल से यह देख रहा हूं कि हम लोग जो बिल पेश करते हैं उस पर यूं ही कागजी कार्रवाई की जाती है । और वह मंजूर तो होती ही नहीं । यह बड़े दुःख की बात है । मैं यह चाहता हूं कि हमारे वजीर साहिबान यह न समझें कि हम उनके कुछ मुखालिफ हैं और हम जो कुछ कहते हैं वह उनको नुकसान पहुंचाने के लिये होता है । ऐसी कोई बात नहीं है । हम तो चाहते हैं कि आपकी कुछ मदद करें, आपकी कुछ सेवा करें ।

एक और अर्ज मैं कर दूं । यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है परन्तु इसके सोचने का जो ढंग है वह मेरे खयाल में जरा गलत है । आप इस बात को इस तरह समझें कि जो आदमी जिस समाज में पैदा होता है वह उसी के मुताबिक चलता है जैसे कि अगर कोई हिन्दू घर में बड़ा हुआ है तो वह मन्दिर में जाकर पूजा करता है, अगर कोई मुसलमान घर में बड़ा हुआ है तो वह मस्जिद में जाकर नुमाज पढ़ेगा । यह हकीकत है । हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने एक खास तरीके की तालीम पाई है, उसी के बमूजिब वह काम करते हैं और उसी के बमूजिब सरकार को भी चलाते हैं । यह समझ लेने की बात है कि यह बिलकुल दो तरीके हैं अलग अलग । एक तो यह कि सब के ऊपर इंतजाम हमारा हो और सब चीजें हम खरीद लें और बेचें । हम इंतजाम करें । तमाम मखलक का हम ही इंतजाम करें और यह समझें कि वे जितने आदमी हैं भेड़ हैं और हम उनका ठीक से इंतजाम करने वाले हैं और ठीक रास्ता दिखलाने वाले हैं । दूसरा तरीका यह है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा आजादी दें और उन को इस काबिल बनायें कि वह खुद ही अपने पैरों पर खड़े हों और वह अपना प्रबन्ध स्वयं आप करें ।

अब वैसे सुनने में तो यह बात बड़ी अच्छी लगती है कि हम कीमतें मुकर्रर करें कि जो हमारे किसान हैं वह खुश रहें क्योंकि हमने गल्ले की कीमतें मुकर्रर कर दी हैं । एक भाई ने बतलाया है कि गन्ने की जब कीमत मुकर्रर है, कपड़े की कीमत मुकर्रर है तो गेहूं और चावल की कीमत क्यों नहीं मुकर्रर की जा सकती है ? लेकिन इसके सम्बन्ध में देखने की बात यह है कि गल्ले की कीमत बहुत सी बातों पर निर्भर है । यदि बारिश ज्यादा हो गई या कहत पड़ गया तो उसके बमूजिब

[राजा महेन्द्र प्रताप]

कीमत कम और ज्यादा हो जाती है और इसलिए भी कीमत कम या ज्यादा हो सकती है कि कहीं से कोई आपने माल ज्यादा मंगा लिया तो उसका भाव सस्ता हो गया। इसलिए यह कहना कि इस प्रकार हम गल्ले की कीमत मुकर्रर कर देंगे और उससे किसानों को फायदा होगा मेरी समझ में ठीक नहीं लगता। अलबत्ता अगर हम यहां यह कह कर केवल किसानों को खुश करना चाहते हैं तो वह दूसरी बात है। मैं तो कहूंगा कि साहब हमको समाज को इस तरीके से बनाना है कि वह सुखी समाज बन जाय और सुखी समाज तब बनेगा जबकि गांवों में सच्चे मानों में उनका स्वराज्य होगा। हम लोग जो ऊपर से काम कर रहे हैं हम उनको ऊपर से काम नहीं करने देते हैं। यह तजुर्बे की बात है कि हमारे कलक्टर्स, कप्तान और जो बड़े अफसर हैं वे अफसरियत का खयाल करते हैं और वह इस बात का खयाल नहीं करते कि यह जो लोग नीचे पड़े हैं उनको उठाना है और उनको उनके पैरों पर खड़ा करना है। उनको ठीक रास्ता दिखलाना है। मेरा तो अपना यह खयाल है कि हमारी सरकार बजाय यह कहने कि हम ऐसा इंतजाम करेंगे और वैसा इंतजाम करेंगे, वह उन लोगों को अपने घरों का इंतजाम करना सिखाये और अगर सरकार ऐसा करे तो मेरी समझ में यह ज्यादा अच्छा होगा।

मेरा यह खयाल है और मैंने सुना है कि शायद महात्मा गांधी जी ने भी यह कहा है कि हर एक गांव को इस तरीके से मुनज्जम किया जाय कि वह लोग अपनी चीजें आप बनायें और वह अपने घर में खुदमुख्तार हो जायं। यह बड़ी सहल सी बात है क्योंकि हम जानते हैं कि गांवों में किन किन चीजों की जरूरत होती है। अब गांव वालों ने गल्ला तो पैदा कर लिया मगर कपड़े की जरूरत है, मसलन् बढ़ई की जरूरत है, लुहार की जरूरत है और कुछ और सामान की जरूरत होती है और हमें ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए कि उनकी जरूरत की चीजें उनको वहां मुहैय्या हो जांय। मुझे ठीक तो नहीं मालूम लेकिन शायद महात्मा गांधी जी ने भी यही कहा था कि गांवों का इस तरीके से प्रबन्ध किया जाय कि गांव वालों को उनकी जरूरत की चीजें वहीं मिल जायं। सिर्फ थोड़ी सी चीजें रह जाती हैं जैसे कि लोहा है या रेडियो है, कुछ ऐसे बड़े बड़े सामान हैं जोकि गांवों में पैदा नहीं किये जा सकते उनके लिए बेशक बड़े बड़े कारखाने कायम किये जायं और उन कारखानों से वहां पर माल पहुंचाया जाय। इस तरीके से अगर इंतजाम किया जाय तो मेरा अपना यह खयाल है कि लोगों को ज्यादा आसूदगी मिलेगी।

मेरे भाई अक्सर मुझ से नाराज हो जाते हैं जब मैं कुछ जातिपांत की बात करता हूं। लेकिन किया भी क्या जाय? हमारी सभ्यता में जातिपांत मौजूद है और उसको देखना चाहिए। सिर्फ यह कह देने से कि जातिपांत नहीं होनी चाहिए, जातिपांत मिटती नहीं है। मेरा कहना यह है कि आपको और हमको यह देखना चाहिए कि शहरों में ज्यादातर ब्राह्मण, बनिये, कायस्थ और खत्री मिलेंगे और गांवों में ज्यादातर राजपूत, जाट, गूजर, चमार और अहीर मिलेंगे। मेरा कहना यह है कि शहरों का इंतजाम वह करें जोकि बड़े बड़े दिमाग वाले हैं, लाला लोग और होशियार लोग हैं यह बड़े बड़े लोग शहरों का इंतजाम करें और गांवों का इंतजाम उनको करने दें जोकि वहां पर बसते हैं जैसे कि राजपूत हैं, गूजर हैं और जाट वगैरह हैं। गांवों की सरकार फिर जिले में हो और गांव वालों का जो जिले का इंतजाम है वहां से प्रान्तीय सरकारों में उनके प्रतिनिधि जायं। इसी प्रकार नगरों के प्रतिनिधि प्रान्तीय सरकार में जायं। इसमें यह लाभ होगा कि वहां पर सब लोगों के प्रतिनिधि पहुंच जायेंगे जोकि आज की मौजूदा हालत में नहीं हो पा रहा है। वैसे कहने को तो रोज यह कह दिया जाता है कि साहब हम गांव वालों की

सरकार बनाते हैं मगर होता तो यह है कि कुछ अक्लमंद और होशियार लोग ही सरकार में पहुंचते हैं और वे चंद लोग ही जिस तरीके से चाहते हैं बाकी तमाम लोगों को चलाते हैं और अपने फायदे के लिए रास्ता दिखलाते हैं मेरे कहने का मतलब सिर्फ यह है कि हमारी सरकार को ज्यादा हस्तक्षेप न करते हुए, लोगों पर ज्यादा हुकूमत न करते हुए, उनको इस काबिल बनायें कि वह हुकूमत अपने आप करें।

इसके साथ ही साथ मैं यह जरूर कह दूं कि यह एक बड़े दुःख की बात है कि हम देख रहे हैं कि गांवों से लोग शहरों में काफी तादाद में जा रहे हैं। अब यह सोचने की बात है कि वे गांवों को छोड़ कर शहरों की ओर क्यों जा रहे हैं ? वह केवल इसलिये जा रहे हैं कि गांवों में उनको न तो वह चीजें मिलती हैं जो कि उन को शहरों में मिलती हैं और दूसरे गांवों में जमीनें भी बहुत थोड़ी हैं। मेरे बहुत से गांव वाले मित्र कहते हैं कि साहब हम क्या करें ? हमारा इन थोड़ी सी जमीनों पर गुजारा नहीं चलता है। अब यह बात देखने की है कि क्यों उनका गुजारा नहीं होता है ?

मैं अभी फारमूसा गया था और मुझे वहां पर एक किसान को दिखलाया गया जिसको कि देख कर मुझे बहुत हैरत हुई। अब मैं यह नहीं कह सकता कि वह असल चीज और हकीकत थी या झूठ थी। यह भी हो सकता कि उन्होंने मुझे कुछ झूठ दिखला दिया हो और वह दरअसल में हकीकत न हो। बहरहाल मैंने एक किसान के घर को देखा जिसके कि पास सिर्फ ३ एकड़ जमीन थी लेकिन उसका पक्का मकान बना हुआ था और उसमें रेडियो भी लगा हुआ था और बाकायदा पलंग बिछे हुए थे। मुझे यह देख कर हैरत हुई कि यह इतनी थोड़ी सी जमीन में किस तरीके से इतने अच्छे प्रकार से जीवन व्यतीत कर सकता है। उन्होंने मुझे बतलाया कि एक कारण तो खुदा की देन है और दूसरे हमारी जमीन अच्छी है और मौसम इतना अच्छा है कि एक जमीन पर तीन फसलें तो जरूर ही होती हैं और कभी कभी एक ही जमीन पर चार, चार फसलें भी हो जाती हैं। मैंने यहां अपने देश में कभी यह नहीं सुना कि कि एक जमीन में दो दफे चावल पैदा होता हो . . .

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : काश्मीर में पैडी की डबल क्रौपिंग होती है।

राजा महेन्द्र प्रताप : माननीय सदस्य से मुझे यह सुन कर खुशी हुई। लेकिन चार फसलें तो हमारे यहां नहीं होती हैं। हमारे यहां चार फसलें तो कभी नहीं होती हैं लेकिन वहां पर चार फसल होती हैं। वे वहां पर सुअर रखते हैं। वहां सुअरों से बड़ा लाभ पहुंचता है लेकिन हमारे रास्ते में यह धर्म वगैरह की बाधा बन कर आ जाती है जिसके कि कारण हम सुअर नहीं पाल सकते, मुर्ग नहीं पाल सकते और बहुत दफा बकरियां भी नहीं पालते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां पर खेती के अलावा और भी धंधे होते हैं मसलन वहां रेशम पैदा करने का भी एक बहुत बड़ा धंधा है .

Shri Raghunath Singh: The question is about fixation of price of food-grains and not about Formosa and सुअर etc.

सभापति महोदय : अब माननीय सदस्य अपनी बात समाप्त करें।

राजा महेन्द्र प्रताप : शहद पैदा करने का भी एक बहुत बहुत अच्छा धंधा है जो कि गांवों में हो सकता है। हम अन्य धंधों को सुचारू रूप से करने के लिए किसानों को बतलायें और उनको सही रास्ता दिखलाये ताकि वह गांवों में आत्म निर्भर बन सकें। बस मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कहना चाहता था।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : सभापति महोदय, हमारे भाई श्री झूलन सिंह ने जो बिल उपस्थित किया है उसके सिद्धान्त बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर अर्थ शास्त्र की दृष्टि से देखा जाय तो आपको पता लगेगा कि जो प्राइस अथवा मूल्य होता है उसका फिक्सेशन कैसे होता है। उसका फिक्सेशन जो होता है वह इस बात पर आधारित होता है कि कंजम्पशन और प्रोडक्शन में क्या अन्तर है। इसलिये जब कंजम्पशन और प्रोडक्शन में संतुलन होगा तभी इस प्राइस में भी सन्तुलन हो सकता है अन्यथा प्राइस में भी सन्तुलन नहीं हो सकता है।

दूसरी बात यह है कि अर्थ शास्त्र की मार्जिनल युटैलिटी का जो सिद्धान्त है उसको हमें अपने सामने रख कर इस बिल के ऊपर विचार करना चाहिये . .

Mr. Chairman: The hon. Member would perhaps like to take some more time.

Shri Raghunath Singh: Yes, Sir.

Mr. Chairman: Then he might continue his speech on the next day when this Bill comes up for further consideration

17·00 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, August 19, 1961/*Sravana* 28, 1883 (*Saka*).